

उपरोक्त

9.4.19

पञ्जाब की पंजाब दुर्ग/वकील काही हाजिर नहीं/वकील काही को
बाह-बाह आवाज लगाई गई/बाह-बाह आवाज लगाते
में ही हाजिर नहीं/अतः अन्तर्गत चौकसाल व विधान-
को आम हाजरी आम पैरवी में रवरीज किया जाता है।

पञ्जाब की कलक श्रमक होरक-समवाय से कम हो व हाजिर
क्षमक हो। हस्ताक्षर

परखण्ड अधिकारी
पञ्जाबी (सिपाही)